

प्रस्ताव - F/OP/Road/30203/2017

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग को विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें.....

Recommended for approval

.....(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्म टिप्पणी दी जाय)।

दिनांक :-  
स्थान :-

25/4/18  
Luknow

हस्ताक्षर

नाम.....डा० प्रशान्त कुमार वर्मा  
सरकारी मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी  
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,  
उ०प्र०, लखनऊ